



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> Floor, Rajendra Bhawan  
Rajendra Place, New Delhi – 110008

Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in

Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No. U-16011/25/2024-Medical(E-658418)

Date: 30.06.2025

**परिपत्र / Circular**

**विषय: दिल्ली / एनसीआर के अंतर्गत सेकन्डरी एवं एसएसटी सेवाओं के लिए सूचीबद्ध एचसीओ के साथ अनुबंध जो कि 30.06.2025 तक वैध है, का विस्तार करने के संबंध में।**

**Subject: Extension of Contract with Empanelled HCOs for Secondary & SST Services Under Delhi/NCR Valid till 30.06.2025-reg.**

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के दिनांक 25.06.2025 के परिपत्र संख्या 111-यू/17/11/23/एस.एस.टी. मैनुअल/चिकित्सा-2 (ई फाइल सं. 474670) के अनुसरण में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के साथ सेकन्डरी एवं सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में सूचीबद्ध हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशनों (HCOs) के साथ वर्तमान में प्रचलित अनुबंध, जो कि दिनांक 30.06.2025 तक वैध है उन्हें एक माह की अवधि के लिए अर्थात् 01.07.2025 से 31.07.2025 तक, या नवीन सूचीबद्ध प्रक्रिया के पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तार प्रदान किया गया है। / In pursuance of Directorate (Medical) Delhi Circular No. 111-U/17/11/23/SST Manual/Medical-2 (E-File No. 474670) dated 25.06.2025 on the above subject, this is to inform all concerned that the contract currently in place with Healthcare Organizations (HCOs) empaneled with this office for providing Secondary & Super Speciality Treatment (SST) services in Delhi/NCR, which are valid upto 30.06.2025, have been accorded extension for a period of one month, i.e. w.e.f. 01.07.2025 to 31.07.2025, or until the completion of the fresh empanelment process, whichever is earlier.

एमओयू की अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी। /The other terms and conditions of the MoU will remain the same.

यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है। /This is issued with the approval of the Regional Director.

Digitally signed by  
Surya Prakash(सूर्य प्रकाश)  
Date: 30-06-2025

15:09:09

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा/पीएमएस)

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, ई-VI, क.रा.बी.नि. मुख्यालय कार्यालय, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ ।

Insurance Commissioner, E-VI, ESIC Hqrs. Office, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-110002 for information please.

2. संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के चिकित्सा अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से ।

The Medical Superintendent of concerned HCOs through email.

3. चिकित्सा आयुक्त (एसएसटी), क.रा.बी.नि. मुख्यालय, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ ।

Medical Commissioner (SST), ESIC Hqrs. Office, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-110002 for information please,

4. आईटी सेल, क्षेत्र का, दिल्ली से अनुरोध है कि इसे क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

The Branch Office, IT Cell with the request to upload the same at Regional Office, Delhi Website.

5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा ।

Directorate (Medical) Delhi/Directorate (Medical) Noida.

6. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर प्रदेश/हरियाणा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

The Regional Director (Uttar Pradesh / Haryana) for information and necessary action.

7. चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआई अस्पताल

(बसईदारापुर/ ओखला/ रोहिणी/ झिलमिल/ नोएडा/ साहिबाबाद/ गुरुग्राम/ फरीदाबाद/ मानेसर) ।

The Medical Superintendent, ESI Hospital

(Basaidarapur/Okhla/Rohini/Jhilmil/Noida/Sahibabad/Gurugram/Faridabad/Manesar).

8. निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय (ओखला/रोहिणी/नंदनगरी/नोएडा/गुरुग्राम) ।

Director (I/c), Sub Regional Office (Okhla/Rohini/Nandnagri/Noida/Gurugram)

9. क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली के निजी सचिव ।

PS to Regional Director, Delhi.

10. उप निदेशक (रोकड)/ उप निदेशक (वित्त) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को सूचनार्थ

Deputy Director (Cash)/Assistant Director (Finance) Regional Office, Delhi, for information.

11. आईएमओ प्रभारी, क.रा.बी.नि. डिस्पेंसरी ।

The IMO Incharge, ESI Dispensary.

12. क.रा.बी.नि. पेंशनर एसोसिएशन (दिल्ली/फरीदाबाद) ।

ESIC Pensioner Association (Delhi/Faridabad)

13. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ।

Notice Board, Regional Office

14. गार्ड फाइल ।

Guard file